बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004
Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

कार्यालय पत्रांक 8245/डी दिनांक 19.12.2013 द्वारा सर्वश्री केडी इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में आवंटित भू खंड संख्या सी०–8 रकवा 17668 वर्गफीट का हस्तानांतरण सर्वश्री उत्तम पाईप प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में फ्लाई ऐश ब्रिक्स एवं पेवर ब्लॉक के उद्योग स्थापनार्थ सशर्तें किया गया। इकाई को भौतिक स्वामित्व शाखा कार्यालय ज्ञापांक 02 दिनांक 13.01.2014 द्वारा प्रदान की गयी। शाखा कार्यालय पत्रांक 50 दिनांक 06.04.2019 द्वारा इकाई परिसर में औद्योगिक गतिविधि नहीं होने के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र निर्गत किया गया।

दिनांक 14.12.2019 को क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आवंटित भू–खण्ड संख्या सी०–8 रकवा 17668 में लगभग 12000 वर्गफीट में भवन एवं अस्थायी शेड निर्मित है। परिसर में पूर्व से निर्मित फ्लाई ऐश ब्रिक्स का भण्डारण पाया गया। इकाई को शाखा कार्यालय पत्रांक 302 दिनांक 20.12.2019 द्वारा उत्पादन कार्य बंद रखने के संबंध में नोटिस निर्गत किया गया। इकाई द्वारा विषयांकित स्थल पर उत्पादन कार्य एवं बकाया भुगतान नहीं करने के कारण कार्यालय पत्रांक 7364/डी दिनांक 31.12.2019 के द्वारा अंतिम नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 15.02.2020 एवं दिनांक 27.05.2020 को क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में यथावत स्थिति पायी गयी।

कार्यालय पत्रांक 1497/डी दिनांक 29.05.2000 के द्वारा वर्ष 2014 से पत्र निर्गत तिथि तक के इकाई से संबंधित विद्युत विपत्र की मांग कार्यपालक अभियंता (विद्युत), विद्युत प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति विभाग, पाटलीपुत्रा, पटना से प्राप्त की गयी। विद्युत विपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकाई में उत्पादन जुलाई 2017 से ही बंद है। इकाई को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, कार्यालय पत्रांक 1564/डी दिनांक 02.06.2020 द्वारा विषयांकित भूमि को Allotment Surrender Facilitation Policy के तहत प्राधिकार को सौंपने हेतु आवेदन समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत किया गया। इस संबंध में इकाई के प्रतियुत्तर दिनांक 29.06. 2020 के द्वारा Allotment Surrender Facilitation Policy के तहत भाग नहीं लेने एवं उक्त प्रस्ताव को खारिज किये जाने की सूचना कार्यालय को दी गयी। क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा के द्वारा शाखा कार्यालय के पत्रांक 450 दिनांक 09.07. 2020 के माध्यम से इकाई द्वारा Allotment Surrender Facilitation Policy के तहत नियत समय में आवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्राधिकार द्वारा सारी औपचारिकतायें पूरी किये जाने के बावजूद इकाई द्वारा विगत तीन वर्षो से उद्योग को सुचारू रूप से संचालित करने में कोई अभिरूची नहीं है। केवल औद्योगिक क्षेत्र के भूमि को कब्जे मात्र में रखा गया है एवं इकाई को आवंटित भू–खण्ड संख्या सी०–8 रकवा 17668 वर्गफीट पर प्राधिकार को लम्बे अवधि से बकाये का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अद्यतन बकाया मो०– 1,88,580/–(एक लाख अठासी हजार पाच सौ अस्सी रूपयें मात्र) भी कार्यालय को अप्राप्त रहा है। अतः बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत प्राधिकार भूमि मद में जमा की गई राशि को जब्त करते हुए इकाई सर्वश्री उत्तम पाईप प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित/हस्तातरित भू–खण्ड सी०–8 रकवा 17668 वर्गफीट का आवंटन रद्द की जाती है।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 09.07.2020

ह०/–
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांकः– 2051/D   दिनांकः– 10/07/2020

प्रतिलिपिः– सर्वश्री उत्तम पाईप प्राईवेट लिमिटेड, भू–खण्ड संख्या सी०–8, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा, पटना–800013/सर्वश्री उत्तम पाईप प्राईवेट लिमिटेड, 46, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, सहयोग हॉस्पीटल के पास, पटना– 800013/क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा/आई०टी० बियाडा, पटना /लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्र०नि० कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.7.20
कार्यकारी निदेशक।